

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-३/१, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ ७ (१) () अनु.छा./सान्ध्याअवि/15/

५६३४९

जयपुर, दिनांक:

१८/०३/१५

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ ७ (२) (७) रा.छा./सान्ध्याअवि/15/32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों की कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

(ब) अनुसूचित जनजाति

क्र. सं.	नाम छात्रावास	संस्था का नाम	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
					कमी	वृद्धि	योग
जिला-बारां							
1.	अनुसूचित बालक जनजाति छात्रावास, करवाथाना, बारां	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, झाँलाना झूंगरी, जयपुर	अनु. जनजाति	40	10	0	30
			योग	40	10	0	30
जिला-भीलवाड़ा							
2.	अनुसूचित बालक जनजाति छात्रावास, जहाजपुर, भीलवाड़ा	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, झाँलाना झूंगरी, जयपुर	अनु. जनजाति	60	10	0	50
			योग	60	10	0	50
जिला-दौसा							
3.	अनुसूचित बालक जनजाति छात्रावास, लालसोट, दौसा	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, झाँलाना झूंगरी, जयपुर	अनु. जनजाति	40	5	0	35
4.	अनुसूचित बालिका जनजाति छात्रावास, गीजगढ़ (सिकराय)	ग्रामीण महिला विकास एवं विकलांग प्रशिक्षण संरथा, तहसील-सिकराय, दौसा	अनु. जनजाति	25	0	25	50
			योग	65	5	25	85
जिला-झूंगरपुर							
5.	अनुसूचित बालक जनजाति छात्रावास, वारदरी	जागरण जनसेवा मण्डल, वारदरी, झूंगरपुर	अनु. जनजाति	50	20	0	30
			योग	50	20	0	30
जिला-सिरोही							
6.	अनुसूचित बालक जनजाति छात्रावास, पिण्डवाड़ा, सिरोही	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, झाँलाना झूंगरी, जयपुर	अनु. जनजाति	35	5	0	30
			योग	35	5	0	30
जिला-प्रतापगढ़							
7.	अनुसूचित बालक जनजाति छात्रावास, असनोद, प्रतापगढ़	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, झाँलाना झूंगरी, जयपुर	अनु. जनजाति	25	0	25	50
			योग	25	0	25	50
			महायोग	275	50	50	275

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ ७ (२)(७) रा छा / सान्ध्यार्थि / १५ / ५६८०८०-१९० जयपुर, दिनांक: १८/०३/१८

प्रतिलिपि निभाकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

१. विशिष्ट सहायक/माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
२. निर्दीय सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
३. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
४. जिला कल्याण एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
५. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
७. उप निदेशक/सहायक/निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
८. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री।
९. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को इसेल कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी समिलित करावें।
१०. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक
(अनुजाति/जनजाति कल्याण)

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजिस्ट्री क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा छ। / सान्ध्यावि / 15 /

जयपुर, दिनांक: 18/03/2015

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 7 (2)(7) रा छ।/सान्ध्यावि / 15 / 32382 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत छात्रावासों को कुल स्वीकृत क्षमता की सीटों तक उसी श्रेणी के अन्य छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सीटों में कमी/वृद्धि करने के राज्य सरकार के अनुमोदन अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है:-

(अ) अनुसूचित जनजाति

क्र. सं.	नाम छात्रावास	श्रेणी	स्वीकृत क्षमता	प्रस्तावित क्षमता		
				कमी	वृद्धि	योग
जिला-अलवर						
1	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, संकट	अनु.जन जाति	40	0	15	55
		योग	40	0	15	55
जिला-भीलवाड़ा						
2	राजकीय सावित्री वाई फुले छात्रावास, जहाजपुर	अनु.जन जाति	50	15	0	35
		योग	50	15	0	35
जिला-बून्दी						
3	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, लाखरी	अनु.जन जाति	50	0	10	60
		योग	50	0	10	60
जिला-बांसवाड़ा						
4.	राजकीय सावित्री वाई फुले छात्रावास, गढ़ी	अनु.जन जाति	60	10	0	50
5.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, घाटोल	अनु.जन जाति	80	0	5	85
6.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, छोटी बदरेल (टीएडी)	अनु.जन जाति	50	10	0	40
7.	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सरेडी बड़ी	अनु.जन जाति	35	0	15	50
		योग	225	20	20	225
जिला-जालौर						
8	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, माण्डवला	अनु.जन जाति	35	10	0	25
9	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, जालौर प्रथम	अनु.जन जाति	60	0	5	65
10	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, रानीवाड़ा	अनु.जन जाति	50	0	5	55
		योग	145	10	10	145
जिला-जैसलमेर						
11	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, नाचना-2	अनु.जन जाति	50	10	0	40
		योग	50	10	0	40
जिला-पाली						
12	राजकीय सावित्री वाई फुले छात्रावास, सोदडी	अनु.जन जाति	50	25	0	25
13	राजकीय सावित्री वाई फुले छात्रावास, सुमेरपुर	अनु.जन जाति	50	15	0	35
		योग	100	40	0	60
जिला-राजसमन्द						
14	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, कुम्भुलगढ़	अनु.जन जाति	50	0	5	55
15	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, केलवाड़ा	अनु.जन जाति	50	0	10	60
		योग	100	0	15	115
जिला-सवाईमाधोपुर						
16	राजकीय सावित्री वाई फुले छात्रावास, सवाईमाधोपुर	अनु.जन जाति	50	0	5	55
		योग	50	0	5	55
जिला-सिरोही						
17	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, मानपुरा, आबू रोड प्रथम	अनु.जन जाति	60	25	0	35

18	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास अच्युता (पिंगडवारा)	अनु.जन जाति	45	10	0	35
19	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास निधलागढ	अनु.जन जाति	60	10	0	50
20	राजकीय सावित्री वाई पुले छात्रावास आयनल	अनु.जन जाति	25	0	10	35

जिला-दौसा

21	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सिक्कारा	अनु.जन जाति	75	3	20	95
22	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास गण्डरावा	अनु.जन जाति	35	0	15	50
23	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास दौसा तृतीय	अनु.जन जाति	50	0	10	60

योग

24	राजकीय सावित्री वाई फुले छात्रावास घमोत्तर	अनु.जन जाति	60	10	0	50
25	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास प्रतापगढ	अनु.जन जाति	75	0	10	85

योग

26	राजकीय अम्बेडकर छात्रावास कोटडा	अनु.जन जाति	75	0	5	80
27	राजकीय सावित्री वाई फुले छात्रावास गुधाना, उदयपुर	अनु.जन जाति	40	0	5	45

योग

महायोग

(अम्बरीष कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
क्रमांक: एफ 7 (2)(7) रा.छा./सान्ध्यावि/15/ 56562-८०५ जयपुर, दिनांक: 18/09/15

प्रतिलिपि : निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर,
- निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
- उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित जिलाधिकारियों को ई.मेल कराते हुये आदेश में उल्लेखित छात्रावास की स्वीकृत क्षमता के परिवर्तन को छात्रावास की सूची में भी सम्मिलित करावें।
- आदेश पत्रावली।

18.9.15
अतिरिक्त निदेशक
(अनु.जाति / जनजाति कल्याण)